



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2021/HQ/Admin/RTI-529

New Delhi: 28.07.2021

श्री रामबीर सिंह

पुत्र श्री रघुबीर सिंह

निवासी ए- 16 एम, एम आई जी सिकन्दरा

बोदला रोड, शास्त्री पुरम, आगरा

उत्तर प्रदेश-282007

मोबाइल- 9457871161

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन दिनांक 22.06.2021, जो मुख्य महाप्रबंधक/टूडला, के कार्यालय में दिनांक 28.06.2021 को एवं इस कार्यालय में दिनांक 29.06.2021 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त बिन्दुवार सूचना निम्नलिखित है:

क्रमांक	क्रम संख्या	मांगी गई सूचना	उपलब्ध कराई गई सूचना
1	1	आरटीआई आवेदन	मांगी गई सूचना निम्नलिखित वेब लिंक पर उपलब्ध है : https://dfccil.com/Home/DynemicPages?MenuId=52
2	2	दिनांक- 22.06.21	इस संबंध में DFCCIL के आगरा कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेज की प्रति संलग्न है।
3	3	के द्वारा मांगी गई सूचना।	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, डीएफसीसीआईएल में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियोजन पर पदस्थापना, संबंधित मुख्य महाप्रबंधक इकाई के अंतर्गत की जाती है। प्रशासनिक एवं परिचालन आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की आगे की स्थानीय तैनाती करना, संबंधित मुख्य महाप्रबंधक इकाई पर निर्भर करता है।
4	4		अधिकृत अस्पताल से चिकित्सा संबंधी फिटनेस प्रमाण पत्र, डीएफसीसीआईएल में कार्यग्रहण करने हेतु प्रदान किए गए पुनर्नियोजन संबंधी ऑफर लेटर में निहित नियम एवं शर्तों के अधीन है।
5	5		इस सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से कोई नियम उपलब्ध नहीं है। पुनर्नियोजन हेतु चिकित्सा परीक्षण बाबत निर्देश, सेवानिवृत्त कर्मचारी के नियुक्ति पत्र में उल्लेखित होता है। मुख्यालय से प्राप्त जारी नियुक्ति पत्र सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत करने पर, मुख्य महाप्रबंधक /महा प्रबंधक समन्वय/टूडला के आदेश प्राप्त होने पर मेडिकल के लिए भेजा जाता है।
6	6,7,8		इस संबंध में DFCCIL के आगरा कार्यालय से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न है।
7	9		तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक/टूडला द्वारा दिए गए निर्देशानुसार, श्री रामबीर सिंह की पुनः नियुक्ति की कार्यवाही नहीं की गई है।
8	10		आवेदक द्वारा प्रश्नात्मक रूप से जानकारी चाही है, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों में शामिल नहीं है।
9	11,12, 13 & 14		आवेदक को छोड़कर अथवा दरकिनार कर अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारी को नियुक्ति करने के सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से कोई नियम उपलब्ध नहीं है, तथापि सेवानिवृत्त कर्मचारी की पुनः नियोजन के सम्बन्ध में DFCCIL द्वारा जारी पत्र क्रमांक No. HQ/HR/3/Re-Emp-Engmt. Po1./10 दिनांक 17.08.2015 की प्रति संलग्न है।

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय/पांचवा तल :, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110001 -

Regd. & Corporate Office: 5th Floor, Supreme Court Metro Station Building Complex, New Delhi-110001

Tel: 91 - 11-23454700, Fax No. 91-11-23454701 Web : www.dfccil.com, CIN : U60232DL2006GOI155068

... 2/-

क्रमांक	क्रम संख्या	मांगी गई सूचना	उपलब्ध कराई गई सूचना
10	15, 16, 18 & 19	आरटीआई आवेदन	आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना प्रश्न/स्पष्टीकरण प्रकृति के हैं। अतः यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(f) के अंतर्गत नहीं आता है।
11	17	दिनांक- 22.06.2021 के द्वारा मांगी गई सूचना	DFCCIL में स्टेशन पर स्टेशन मास्टर द्वारा इयूटी निर्वहन, निर्धारित नियमावली के तहत अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही कराया जाता है।

उपरोक्त सूचना आपको निःशुल्क एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिनका नाम और पता इस प्रकार है:

सुश्री आर० पी० छिब्र
समूह महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्नक: 12 पृष्ठ ।

SK
28.07.2021

(एस. के. राय)

उप. महाप्रबंधक / प्रशा. (ज. सू. अ.)

ई-मेल-skroy@dfcc.co.in

दूरभाष - 011-23454707